अपील सूचना अधिकार संख्या 87/2018 (RCMS 2018/00207) श्री भारमल पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी चक 9–10 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर – 335062 मोबाईल नं. 98285–56120 बनाम तहसीलदार (सहायता) एवं लोक सूचना अधिकारी, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.02.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री भारमल स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थी तहसीलदार, सादुलशहर या उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है और न ही उनका अपील के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी की प्रार्थना है कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादुलशहर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05.09.2018 को प्रस्तुत करके चार बिन्दुओं के सम्बन्ध में सूचना चाही थी जो तहसीलदार, सादुलशहर ने 30 दिवस बीत जाने के बाद भी प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई है और न ही कोई चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में उत्तर दिया है जबकि उसके द्वारा चाही गई समस्त सूचनाएं उनके कार्यालय में सहजता से उपलब्ध है। अतः उसके द्वारा चाही गई उक्त चार बिन्दुओं की सूचना शीघ्र उपलब्ध करवाई जाने के आदेश दिये जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी भारमल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.09.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादुलशहर से निम्न सूचना चाही थीः–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1. राजस्व तहसील सादुलशेहर के चक 9—10 बीएनडब्ल्यू में स्थित कृषि भूमि में गत दिनों हुए फसल खराबे के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा मुआवजा राशि का आवंटन किया गया था। उक्त मुआवजा राशि का भुगतान तहसील कार्यालय के द्वारा किस प्रकार से प्रभावित काश्तकारों को किया गया? सम्बन्धित सूचना की प्रत्येक पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदान करें।
2. क्या उक्त आराजियों के फसल खराबें का मुआवजा अथवा क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान सम्बन्धित काश्तकार को जिसका नाम सम्बन्धित कृषि आराजी की जमाबंदी में बतौर खातेदार दर्ज है, को किया गया है? अथवा सम्बन्धित काश्तकार को विरास्तन ईन्तकाल के आधार पर मुआवजा राशि का भुगतान किया गया था? उक्त के सम्बन्ध मे प्रमाणित सूची मय काश्तकार का नाम, पिता का नाम, जाति तथा भुगतान की गई मुआवजा राशि सहित चक का नाम, खाता संख्या तथा किला नं. आदि की प्रमाणित सूचना प्रदान करें।
3. क्या उक्त आराजियों के फसल खराबें का मुआवजा अथवा क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान उन कृषि आराजियों में हिस्सेदार बने हुए काश्तकारों अथवा बटाईदारों को भी किया गया है? यदि उक्त प्रकार से फसल खराबे की मुआवजा राशि का भुगतान उक्त को किया गया है, तो हिस्सेदार/बटाईदार का नाम, पिता का नाम, जाति तथा भुगतान की गई मुआवजा राशि सहित चक का नाम, खाता संख्या तथा किला नं आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करें।
4. उक्त चक 9—10 बीएनडब्ल्यू पटवार हल्का धर्मसिंहवाला तहसील सादुलशहर में स्थित आराजियों के फसल खराबे बाबत उक्त प्रकार से तैयार की गई सर्वे सूची के प्रत्येक पृष्ट की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदान करें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई है जबकि धारा 7(1) अन्तर्गत 30 दिवस के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने अथवा न करवाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से प्रावधान दिये गये है:

धारा 7 अनुरोध का निपटारा :

(1) धारा 5 की उप धारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंट के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के **धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक है।** इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की **अपील स्वीकार** की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादुलशहर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं अगर **देय है तो नियमानुसार उपलब्ध करवाई जाये अन्यथा न दिये जाने पर प्रार्थी को कारण सहित सूचित किया जावे।** आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। **पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।**

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर